कार्यालय,निदेशक, कॉलेज शिक्षा,विभाग,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( )लेखा/निकाशि /दे.छा.स्कूटी वि.एवं प्रो.रा.यो./11–12/ 2103 दिनांक 28·02·2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत वर्ष 2011 –12 के लिए स्कूटी वितरण के सम्बन्ध में।

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के आदेश क्रमांक 1963 दिनांक 16.1.2012 के द्वारा 200 और क्रमांक 1992 दिनांक 03.02.2012 द्वारा 240 कुल 440 टी.वी.एस स्कूटी पेप + विभिन्न राजकीय कालेजों में अध्ययनरत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं को स्वीकृत की जा चुकी है। स्कूटियां जिला मुख्यालयों डीलरो के पास पर पहुंच चुकी है /पहुंचायी जा रही है। शीघ्र ही डीलर द्वारा स्कूटियां सम्बन्धित महाविद्यालयों में 2 लीटर पेट्रोल सहित आपूर्ति की जाने वाली है।समस्त प्राचार्य स्वीकृति आदेश मय सूची के विभाग की वेबसाइट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in से डाउन लोड कर लेवें तथा सूचियों का सम्पूर्ण अवलोकन कर यह सुनिश्चित कर लेवे कि महाविद्यालय के नाम के साथ दर्शायी गयी समस्त छात्राऐ उनके यहां नियमित अध्ययनरत है। किसी प्रकार का अन्तर पाये जाने पर तुरन्त निदेशालय को सूचित किया जावें।

वितरण व्यवस्था के लिए. संलग्न सूची के अनुसार प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। सभी प्राचार्य स्कूटी स्वीकृत छात्राओं के तीन–तीन फोटो तथा पहचान पत्र लेकर जिला नोडल अधिकारी को प्रस्तुत कर अन्य कार्य व्यवस्था करावें।

नोडल अधिकारी उनके जिले में स्थित महाविद्यालयों की छात्राओं को स्वीकृत स्कूटियो की संख्या को सुनिश्चित कर लेवें। जिला मुख्यालय स्थित /स्थानीय टी.वी.एस. मोटर कम्पनी लिमिटेड के डीलर से सम्पर्क कर तथा जिला कलक्टर (पूल) /कन्ट्रोलर राजस्थान स्टेट मोटर गैराज से तकनीकी कार्मिक को लेकर गाडियों का निरीक्षण करा कर, सही होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करें । तत्पश्चात डीलर से इनवाइस प्राप्त कर क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी से स्कूटियां छात्राओं के नाम रजिस्ट्रेशन कराने, स्थानान्तरण करवाने, तथा किसी बीमा कम्पनी से एक वर्ष का बीमा करावें। सम्पूर्ण कार्यवाही में प्राचार्य, नोडल अधिकारी तथा मोटर कम्पनी डीलर दूरभाष / मोबाइल पर सम्पर्क में रहें।

डीलर द्वारा गाडियां महाविद्यालयों को आपूर्ति करने पर प्राचार्य, स्वीकृत गाडियों की संख्या अनुसार गिनकर, उनका नाम, चेसिस नम्बर, इंजन नम्बर, आर टी ओ द्वारा आवंटित नम्बर आदि देखकर सही हॉलत में प्राप्त करें एवं संलग्न प्रारूप में डीलर को प्राप्ति रसीद देवें। प्राप्त गाडियों का विभाग की स्टॉक पंजिका में इन्द्राज किया जावें।निरीक्षण रिपोर्ट तथा डीलर को दी गयी प्राप्ति रसीद की पृष्ठाकंन प्रति तुरंत निदेशालय को भिजवायें।

स्कूटियों छात्राओं को उनके पिता /माता/ अभिभावक तथा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुपुर्द करें तथा संलग्न प्रारूप में प्राप्ति रसीद लेकर उन पर पिता /माता /अभिभावक के हस्ताक्षर कराकर, प्राचार्य हस्ताक्षर कर दिनांक एवं सील अंकित करें। स्टॉक पंजिका में स्कूटी छात्राओं को निःशुल्क वितरित दर्शाकर शेष शून्य किया जावे तथा वितरण की तिथि अंकित कर स्टोर लिपिक और प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर किये जावें।

रजिस्ट्रेशन, स्थानान्तरण पत्र तथा बीमा पत्र की मूल प्रतियां छात्राओं को दी जावे तथा इनकी फोटो प्रतियां रिकार्ड में रखी जावें । संलग्न प्रारूप अनुसार स्कूटी वितरित छात्राओं की सूची बनाकर उपर्युक्त पत्रादि की प्रमाणित प्रतियां तथा भुगतान बिल बाउचर्स दो–दो प्रतियों में निदेशालय को तुरन्त भिजवाया जावें । भविष्य में स्वीकृत होने वाली स्कूटियों के क्रम में भी यही प्रक्रिया अपनायी जावें। किसी प्रकार की परेशानी आने पर दूरभाष पर निदेशालय में सम्पर्क करें। भुगतान/बजट व्यवस्था संबंधी सूचना/जानकारी अलग से दी जा रही है।

फिलहाल अपने स्तर पर गाड़ियां वितरण करने संबंधी कार्यवाही नहीं करे । गाडियां वितरण करने से पूर्व स्कीम के विभागीय नोडल अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह गुर्जर सहायक निदेशक, (प्रशासन) निदेशालय से दूरभाष /मोबाइल नं 9413333340 पर सम्पर्क करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( )लेखा/निकाशि /दे.छा.स्कूटी वि.एवं प्रो.रा.यो./11–12/ 2104-11 दिनांक 28·02·2012

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान जयपुर
2 निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निःशुल्क वितरित की जा रही स्कूटियों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्थानान्तरण शुल्क तथा रोड टैक्स माफ करने हेतु शीघ्र आदेश प्रदान करावें।साथ ही क्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारियों शीघ्र कार्य निपटाने हेतु निर्देश प्रदान करावें।
3 निजी सचिव,समस्त जिला कलक्टर राजस्थान ।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5 कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जयपुर जिले के वितरित की जा रही गाडियों का निरीक्षण कर सही होने का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु किसी तकनीकी कार्मिक को नियुक्त /निर्देशित करें ।
6 संयुक्त निदेशक (छात्र./आयोजना एवं समन्वय शाखा), जयपुर।
7 नोडल अधिकारी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना निदेशालय,कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
8 श्री देवर्षि (व्याख्याता)वेबसाइट प्रभारी । कृपया विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)
कालेज शिक्षा विभाग, राज.,
जयपुर

Feb,2012